सहायक ...
मुण्डावर ...

02/1/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित [illegible] स्वीकार किया प्रार्थी का [illegible] पत्र की [illegible] से लिखवाया जाता है कि [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] प्र. [illegible] तलबर से [illegible] पेश [illegible]

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर ([illegible]--तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
126/2023	28.07.2023	02.12.2025

बउनवान

1. सुरेन्द्र सिंह छित्रोदिया
2. प्रविन्द्र कुमार पुत्रान जगदेव पौत्र थावर जाति मेघवाल निवासी ढेलावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. ग्यारसाराम पुत्र भैरूराम जाति मेघवाल निवासी टेहडका तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. पुष्पेन्द्र पुत्र भगवानदास जाति बलाई निवासी मकान नम्बर 319 स्कीम 10 अलवर राज0।
3. पुष्पा छित्रोलिया पत्नी सुनील जाति मेघवाल निवासी किरतपुरा तह0 कोटपुतली जिला जयपुर राज0।
4. हेमलता छित्रोलिया पत्नी भरत जाति मेघवाल निवासी किरतपुरा तह0 कोटपुतली जिला जयपुर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. सहायक भू—प्रबंध अधिकारी असिस्टेट सैलटमेन्ट आफिसर अलवर राज0।
7. उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री अशोक चौधरी —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री अरूण पण्डित —: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी० व धारा 212 राज० काश्त० अधि० मिन प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उक्त अनुवानी वाद के साथ मिन प्रार्थी द्वारा दस्तावेज व शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित है।
3. यह है कि हाल ख0न0 34 रकबा 0.01 हैक्0, 35 रकबा 0.01 हैक्0, 36 रकबा 1. 24 हैक्0, 32 रकबा 0.01 हैक्0, 33 रकबा 1.11 हैक्0, 37 रकबा 1.26 हैक्०, वाके ग्राम ढेलावास तह० मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है, जिस आराजी का हाल नक्शा व आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित कहलायेगा।
4. यह है कि आराजी गत ख0न0 381 / 28 रकबा 1.26 हैक्०, मिन प्रार्थीगण के दादा थावर पुत्र प्रभाती के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन प्रार्थीगण के दादा से हम प्रार्थीगण को जरियें वसीयत प्राप्त हुयी है तथा मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा मिन प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजी में मैदानी बोरिंग कर रखी है तथा अपने रिहायसी मकानात का निर्माण कर रखा है।
5. यह हे कि मिन प्रार्थीगण की आराजी गत ख0न0 381 / 28 रकबा 1.26 हैक्0, से हाल ख0न0 34 रकबा 0.01 हैक्०, 35 रकबा 0.01 हैक्0, 36 रकबा 1.24 हैक्०, वर्तमान सैटलमेंट में पैमूद हुये है।
6. यह है कि अप्रार्थी स० 1 की आराजी गत ख०न० 380 / 28 से हाल ख0न0 32 रकबा 0.01 हैक्0, 33 रकबा 1.11 हैक्०, वर्तमान सेटलमेंट के द्वौरान पैमूद किया गया है।
7. यह है कि अप्रार्थी स० 2 ल० 4 की गत ख0न0 393 / 28 से हाल ख0न0 37 रकबा 1.26 हैक्0, वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान पैमूद हुआ है।
8. यह है कि आराजी गत ख0न0 381 / 28 रकबा 1.26 है0, था तथा जिसका नक्शा ट्रैस मौके व रकबे के मुताबिक सही था तथा अप्रार्थी स० 1 ल० 4 की आराजी के तरफ दक्षिण में स्थित रही है तथा अप्रार्थी स० 1 ल० 4 की आराजी तरफ उत्तर में स्थित आम सडक अलवर बहरोड रोड पर स्थित रही है। पहले का मसाबी नक्शा में मिन प्रार्थी का हिस्सा निम्न प्रकार रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

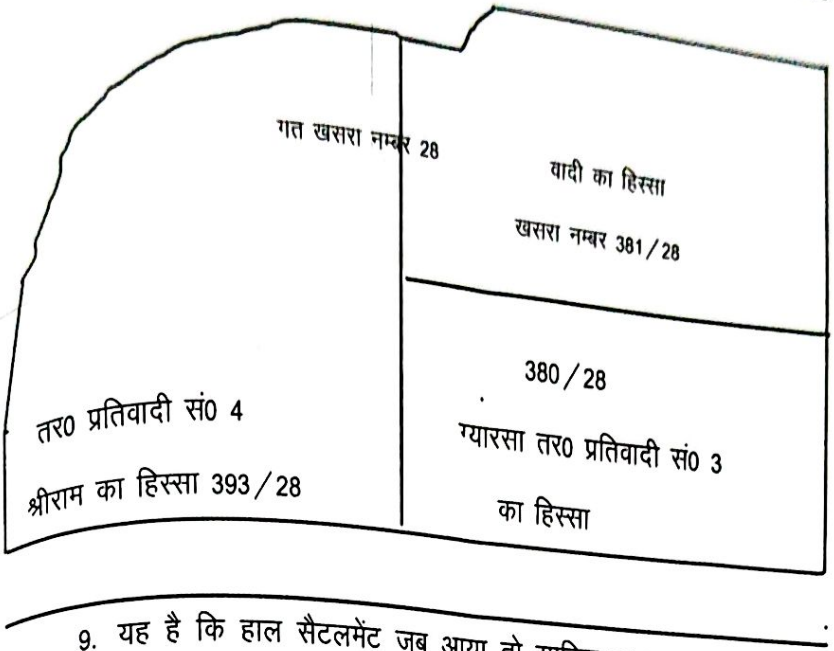

9. यह है कि हाल सैटलमेंट जब आया तो साबिक ख०न० 381/28 रकबा 1.26 हैक०, से हाल ख०न० 34 रकबा 0.01 हैक0 बोरिंग, 35 रकबा 0.01 है0 बोरिंग, 36 रकबा 1.24 है0, पैमूद कर दिया तथा उक्त ख० नम्बरान का हाल कण्डनसलर नक्शा पैमूद करते समय उक्त ख० नम्बरान का राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा हाल बनाते समय गत ख0न0 381/28 के अनुसार नक्शा ना बनाया जाकर मिन प्रार्थीगण की आराजी को अप्रार्थी स० 2 ल० 4 की आराजी में मिलाकर, व अप्रार्थी स० 1 की आराजी को मिन प्रार्थी की आराजी में दर्शित कर, नक्शा गलत तरमीम किया गया है तथा अप्रार्थी स० 2 ल० 4 की बोरिंग व रिहायसी मकानात मिन प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में दर्शित कर दिये, इस प्रकार कण्डनसलर नक्शा बनाते समय मौके के विपरित नक्शा तैयार कर दिया तथा नक्शा में अप्रार्थी स० 1 की आराजी को मिन प्रार्थीगण के हिस्से में दर्शित कर दिया तथा मिन प्रार्थीगण के हिस्से की आरती को अप्रार्थी स० 2 ल० 4 के हिस्से में दर्शित कर दिया, जो गलत है, क्योंकि मौके पर मिन प्रार्थीगण की बोरिंग व अप्रार्थी स० 2 ल० 4 के रिहायसी मकान बने हुये है।

10. यह है कि सैटलमेंट को कोई अधिकार नही था कि वह मौके के विपरित किसी भी इन्द्राज को राजस्व रिर्कोड में दर्ज करे तथा मौके के विपरित नक्शा तैयार करे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी स० 1 की आराजी को नक्शा में हम प्रार्थीगण की आराजी में दर्शित कर दिया तथा हम प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को अप्रार्थी स० 2 ल० 4 के हिस्से दर्शित कर दिया, इस कारण यह दावा दूरुस्ती का श्रीमान के समक्ष नक्शा दूरुस्ती व रिकॉड दूरुस्ती का पेश किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (सैटलमेंट-[illegible])

11. यह है कि उक्त दुरूस्ती दावा में मौके की वास्तविक रिपोर्ट, मौके के मुताबिक मंगवायी जाकर, उकत राजस्व रिर्कोड व नक्शा ट्रैस को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा तथा साबिक नक्शा ट्रैस में भी मौके मुताबिक नक्शा सही दर्ज किया हुआ है, लेकिन वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान बनाये गये कण्डसलर नक्शा मौके के विपरित बना दिया गया है। इसलिए दावा पेश किया जाना लाजिमी आया है।

12. यह है कि मिन प्रार्थीगण मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा काश्त रहे है,, लेकिन वर्तमान सैटलमेंट के द्वौराने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी ख0न0 381/28 से पैमूद हाल ख0न0 34 रकबा 0.01 हैक0, 35 रकबा 0.01 हैक0, 36 रकबा 1.24 हैक०, खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज किया है. जबकी ख०न० 35 रकबा 0.01 हैक०, बोरिंग अप्रार्थी स० 2 ल० 4 की बोरिंग को मिन वादीगण के नाम दर्ज कर दिया है, जिस गलत अंकन को मिन प्रार्थीगण दूरूस्त कराने के अधिकारी है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख०न० से पैमूद हाल ख०नम्बरान का कण्डनसलर नक्शा बनाते समय भी अप्रार्थी स० 1 की आराजी मिन प्रार्थीगण की आराजी में दर्शित कर दी तथा मिन प्रार्थीगण की आराजी को अप्रार्थी स0 2 ल० 4 की आराजी में दर्शित कर दिया, जबकी आराजी में रिहायसी मकानात व बोरिंग बनी हुयी है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा कण्डनसलर नक्शा बनाते समय नक्शा में आराजी को मौका के अनुसार दर्ज नही किया है। तथा कण्डनसलर नक्शा गलत तरमीम कायम रहने से मिन प्रार्थीगण के हकूकों पर कुठाराघात होता है, तथा भविष्य में आराजी की कण्डनसलर नक्शा से पैमाईस करायी जावेगी तो कण्डनसलर नक्शा से दिगर लोगों के मकान आराजी में आ जावेगे, जिससे मुकदमें बाजी बढ़ जावेगी तथा आराजी की पैमाईस नही हो पायेगी, इसलिए मिन प्रार्थीगण के हकूकों की रक्षार्थ दावा दूरुस्ती कण्डनसलर नक्शा का प्रस्तुत करना लाजिमी आया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो गत ख0न0 381/28 रकबा 1.26 है0, व गत ख0न0 380/28 रकबा 1.12 है0, व गत ख0न0 393/28 रकबा 1.26 है0 से पैमूद हाल ख०न० 32 रकबा 0.01 है0, 33 रकबा 1.11 है0, 34 रकबा 0.01 है0, 35 रकबा 0.01 है0, 36 रकबा 1.24 है0, 37 रकबा 1.26 है0, वाके ग्राम ढेलावास तह० मुण्डावर में पैमूद हुये है, को बिना नक्शा दुरूस्त हुये कही रहन, बैय, हिबा से मुन्तकिल ना करे, ना ही कोई मुवावजा प्राप्त करे, ना ही मिन प्रार्थीगण को

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करे, व किसी भी प्रकार से प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे।

प्रार्थी पक्ष की ओर से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निम्न बहस प्रस्तुत है–

1. वाद का स्वरूप व अधिकारिता

यह वाद नक्शा दूरूस्ती/रिकॉर्ड सुधार एवं प्रार्थीगण के काश्त अधिकारों की रक्षा हेतु धारा 212 आरटी एक्ट में विधिवत प्रस्तुत किया गया है। धारा 212 का उद्देश्य ही है कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गलत पैमाइश, गलत नक्शा तरमीम, गलत इन्द्राज को सुधारा जाये।

प्रकरण में विवादित आराजियां और पैमूद खसरा नंबर राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से गलत दर्ज हुए हैं, जिसके कारण प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अतः धारा 212 पूर्णतः लागू होती है।

2. प्राइमाफेसी केस दृ दस्तावेजों व शपथपत्र से सिद्ध

महोदया, प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ– वसीयतपत्र, साबिक नक्शा ट्रैस, मौके की वास्तविक स्थिति, कब्जे के दस्तावेज, बोरिंग व निर्माण की स्थिति, पेश किये हैं, जो यह साबित करते हैं कि गत खसरा 381/28 रकबा 1.26 हैक्टर प्रार्थीगण के दादा थावर पुत्र प्रभाती के कब्जे–काश्त व खातेदारी में था तथा वसीयत द्वारा प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण पिछले समय से अपनी आराजी पर कब्जे में, कृषि करते हुए, बोरिंग निर्मित, तथा आवासीय निर्माण कर चुके हैं। यह तथ्य अविवादित है, क्योंकि अप्रार्थीगण आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत भी नहीं कर सके, जबकि अनेक अवसर प्रदान किये गये।

3. सैटलमेंट के दौरान नक्शा व पैमूद रिकॉर्ड में गंभीर त्रुटियाँ

यह बहस का मुख्य बिंदु है, महोदया–

(i) राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके के विपरीत नक्शा तैयार किया गया

प्रार्थी की आराजी (गत खसरा 381/28) से पैमूद होते समय 34, 35, 36 नम्बर बने। अप्रार्थी 1 की आराजी (380/28) से 32, 33 नम्बर बने। अप्रार्थी 2–4 की आराजी (393/28) से 37 नम्बर बना। परंतु कण्डनसलर नक्शा बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने– प्रार्थी की आराजी को अप्रार्थी 2–4 की आराजी में मिला दिया, अप्रार्थी 1 की आराजी को प्रार्थी की आराजी में दर्शा दिया, प्रार्थी की बोरिंग को अप्रार्थी की बता दिया, अप्रार्थी के रिहायसी मकान प्रार्थी की आराजी में दर्शा दिये। यह न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि सैटलमेंट नियमों के भी विपरीत है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(ii) मौके के अनुसार नक्शा दर्ज न करना कानूनन अवैध

सैटलमेंट को यह अधिकार नहीं है कि--
मौके के विपरीत नक्शा दर्ज करे, वास्तविक कब्जे व सीमाओं को अनदेखा करे, काश्तकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। यह त्रुटि रिकार्ड दुरुस्ती योग्य है तथा धारा 212 में ऐसे ही मामलों के लिए ही प्रावधान है।

4. प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव

कण्डनसलर नक्शा की गलत तरमीम के कारण– भविष्य में पैमाइश होने पर दिगर व्यक्तियों के मकान व बोरिंग प्रार्थी की आराजी में आ जायेंगे। सीमा–विवाद व मुकदमेबाजी अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। प्रार्थी को अपनी ही खातेदारी भूमि से बेदखल किये जाने की आशंका बनी हुई है। अर्जित अधिकारों पर सीधा कुठाराघात हो रहा है।

5. अंतरिम स्थगन आदेश (O-39 R-1&2 CPC) देने का पूर्ण आधार

निम्न कारणों से अस्थायी निषेधाज्ञा (Status-quo / स्थगन) आवश्यक है–

1. Prima facie प्रार्थी का केस दस्तावेजों से सिद्ध है।
2. Irreparable loss – गलत नक्शा के कारण प्रार्थी का कब्जा/बोरिंग/निर्माण विवादित हो जायेंगे जिसकी भरपाई सम्भव नहीं।
3. Balance of convenience – प्रार्थीगण कब्जाधारी हैं, अतः संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
4. अप्रार्थीगण ने जानबूझकर आज तक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया को विलम्बित कर रहे हैं।
5. मौजूदा स्थिति को बनाये रखना सबसे न्यायसंगत है अन्यथा वाद व्यर्थ हो जायेगा।

6. अपील आदेश दिनांक 10.10.2025 से स्थिति स्पष्ट

माननीय भू–प्रबंध अधिकारी, अलवर ने 10.10.2025 के आदेश में– पूर्व आदेश 28.07.2023 को निरस्त किया, प्रकरण को रिमांड किया, स्पष्ट निर्देश दिया कि Order 39 Rule 3A CPC के अनुसार 30 दिनों में निस्तारण किया जाए। अप्रार्थीगण ने इस अवसर का दुरुपयोग करते हुए बार–बार समय लिया,
जवाब नहीं दिया, और मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का बहाना बनाते रहे जिसकी प्रतिलिपि आज दिनांक तक न्यायालय को प्राप्त भी नहीं हुई। यह प्रक्रिया के दुरुपयोग (buse of process) के समान है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. निष्कर्ष

माननीय महोदया, कुल मिलाकर– प्रार्थी का कब्जा सिद्ध है, साबिक रिकॉर्ड व वसीयत सिद्ध है, नक्शा व पेमाइश में गंभीर त्रुटियाँ सिद्ध हैं, अप्रार्थीगण ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, अंतरिम स्थगन आदेश की सभी शर्तें पूरी हैं। अतः प्रार्थी की प्रार्थना न्यायोचित एवं स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदन

निवेदन है कि–

1. बिना नक्शा सुधार/रिकॉर्ड दुरूस्त हुए, अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का हकांतरण (रहन–बयाना–हिबा–मुन्तकिली), मुआवजा प्राप्त करने, प्रार्थी को बेदखल करने, या काश्त में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।
2. विवादित खसरा नंबरों में Status-quo (यथास्थिति) बनाये रखने का आदेश पारित किया जाए।
3. मौके की वास्तविक स्थिति का स्पॉट निरीक्षण/मौका रिपोर्ट मंगवाकर नक्शा व रिकॉर्ड को वास्तविक स्थिति के अनुसार दुरूस्त किया जाए।
4. वाद को धारा 212 RT Act के अनुसार स्वीकार कर गलत कण्डनसलर नक्शा व पैमूद रिकॉर्ड को सही कराया जाए।

अप्रार्थी वकील ने उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय खैरथल तिजारा के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2025 को पेश किया गया। जिसमे दिनांक 27.11.2025 को नियत होनी अवगत करायी गई। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने के बाद ही अप्रार्थी की ओर से बहस/अग्रीम कार्यवाही कर पाउगा।

विवेचन

1. वाद का स्वरूप व प्रकरण के तथ्य

प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि साबिक खसरा नं. 381/28 रकबा 1.26 हैक्टर प्रार्थीगण के दादा थावर पुत्र प्रभाती के कब्जा–कास्त एवं खातेदारी में रही है, जो प्रार्थीगण को वैध वसीयत के माध्यम से प्राप्त हुई। प्रार्थीगण इस आराजी पर निरंतर काबिज एवं कास्तकार हैं तथा बोरिंग व आवासीय निर्माण भी मौके पर विद्यमान हैं।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी का प्रमुख आरोप यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के दौरान पैमूद हाल खसरा नम्बर 34, 35, 36 बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत कण्डनसलर नक्शा तैयार कर दिया, जिसमें- प्रार्थी की आराजी को अप्रार्थी स. 2-4 के हिस्से में दर्शा दिया, अप्रार्थी की आराजी को प्रार्थी के हिस्से में अंकित कर दिया, प्रार्थी की बोरिंग अप्रार्थी के नाम दिखाई गई, अप्रार्थी के मकानात प्रार्थी के खसरे में दर्शित कर दिये। यह सब तथ्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक नक्शा, मौके का ट्रैस, व शपथपत्र से सिद्ध होते हैं।

2. अपील आदेश दिनांक 10.10.2025 एवं निस्तारण की बाध्यता
माननीय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन अपीलीय प्राधिकारी, अलवर द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2025 में अतिप्रस्त हुई अपील को स्वीकार कर इस वाद को आदेश 39 नियम 3(क) CPC के अनुसार 30 दिवस में निस्तारण हेतु रिमांड किया गया। यह आदेश इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।

3. अप्रार्थी द्वारा जवाब न प्रस्तुत करना एवं कार्यवाही टालने का प्रयास
अप्रार्थीगण को समुचित अवसर प्रदान किये गए, किन्तु उन्होंने-बहुतेरे अवसरों के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, केवल मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दायर किये जाने की बात कही, जिसकी प्रति आज तक न्यायालय को प्राप्त भी नहीं हुई। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लंबित कार्यवाही यहाँ की न्यायिक कार्यवाही पर कानूनी रूप से कोई रोक नहीं लगाती। अतः अप्रार्थी का यह आधार महत्वहीन पाया जाता है।

4. विवादित नक्शा व इन्द्राज की त्रुटियाँ – सुस्पष्ट प्रमाण
साबिक रिकॉर्ड, मूल नक्शा, कब्जे की वास्तविक स्थिति, तथा प्रार्थीगण के साक्ष्यों से यह स्पष्ट घोषित होता है कि-

1. सैटलमेंट के दौरान गलत पैमाइश व गलत नक्शा तैयार किया गया।
2. मौके पर विद्यमान बोरिंग, आवासीय मकान, कास्तगी भूमि का रिकॉर्ड में सही प्रतिबिंब दर्ज नहीं हुआ।
3. प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा अधिकारों का अनुचित हनन हुआ।
4. राजस्व कर्मचारियों ने सैटलमेंट नियमों के विपरीत मौके के विपरीत नक्शा तैयार किया, जो विधिसम्मत नहीं है।

धारा 212 RT Act का उद्देश्य ही ऐसे ही गलत इन्द्राजों व नक्शा त्रुटियों की दुरुस्ती करना है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (कैम्प-तिजारा)

5. प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस सिद्ध
दस्तावेजों, वसीयत, साबिक नक्शा, कब्जे के फोटो / साक्ष्य, अवसरों पर अप्रार्थी का जवाब न देना– इन सबके आधार पर प्रार्थी का मामला प्राइमाफेसी सिद्ध है। प्रार्थीगण की भूमि पर उनका कब्जा, बोरिंग, निर्माण एवं काश्तकार्य अविवादित रूप से सिद्ध होता है।

6. प्रार्थी को अपूरणीय क्षति (Irreparable loss)
यदि नक्शा दुरूस्त नहीं किया गया और गलत पैमूद कायम रहा तो–
भविष्य में पैमाइश संभव नहीं रहेगी, दिगर व्यक्तियों के मकान प्रार्थी की भूमि में दिखेंगे, प्रार्थी के कब्जे–अधिकार का सतत उल्लंघन होगा, नये विवाद और मुकदमेबाजी अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। अतः गलत नक्शा कायम रहने से प्रार्थीगण को अपूरणीय हानि होगी।

7. विधिक स्थिति (Legal Position)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अनुसार–
नक्शा / रिकॉर्ड में किसी भी गलत प्रविष्टि, गलत पैमूद या गलत इन्द्राज का सुधार राजस्व न्यायालय का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है।

सैटलमेंट कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं कि–
वास्तविक कब्जे व सीमाओं को अनदेखा करें, विरोधाभासी नक्शा तैयार करें, एक पक्ष की भूमि दूसरे को दर्शा दें। यह दुरूस्ती योग्य स्थिति है।

8. निष्कर्ष
उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर विचार करने पर यह न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि–

1. प्रार्थीगण के कब्जे, कास्त एवं वसीयत के अधिकार स्थापित हैं।
2. सैटलमेंट के दौरान तैयार कण्डनसलर नक्शा मौके के विपरीत व त्रुटिपूर्ण है।
3. धारा 212 RT Act के अंतर्गत वाद पूर्णतः ग्राह्य है।
4. रिकॉर्ड व नक्शा दुरूस्ती के बिना प्रार्थी को गंभीर व अपूरणीय हानि होगी।
5. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब न देना व प्रक्रिया टालना प्रार्थी के दावे को और सुदृढ़ करता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत पाया जाता है।

सहायक कलक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को विवादित आराजी 32, 33, 34, 35, 36, 37 वाके ग्राम ढेलावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)